E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालयः– बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012

पत्रांकः के.रा.फा./जैत./13–21/उद्यान/2018–19/ दिनांकः 15.11.2018

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में SMAF कार्यक्रम अर्न्तगत 30000 नं. वानिकी पौधा रोपण व 30000 नं. पौधों के रख–रखाव (थाला बनाना, पानी डालना, कटाई–छंटाई करना इत्यादि) का कार्य फार्म के खण्ड एक, दो व तीन में करवाना है (पौधारोपण व रखरखाव के लिए पौधों की संख्या को घटाया व बढाया भी जा सकता है)। सीलबन्द निविदायें दिनांकः 11.12.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है । अन्य नियम एंव शर्ते निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है । आगे कोई भी शुध्दिपत्र अथवा अन्य सूचना निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर ही डाली जायेगी।

उप महाप्रबंधक(फार्म)

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)
रजिस्टर्ड कार्यालयः– बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012

पत्रांकः के.रा.फा./जैत./13–21/उद्यान/2018–19/ दिनांकः 15.11.2018

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में SMAF कार्यक्रम अर्न्तगत 30000 नं. वानिकी पौधा रोपण व 30000 नं. पौधों के रख–रखाव (थाला बनाना, पानी डालना, कटाई–छंटाई करने इत्यादि) का कार्य फार्म के खण्ड एक, दो व तीन मे करवाना है। (पौधारोपण व रखरखाव के लिए पौधों की संख्या को घटाया व बढाया भी जा सकता है) पौधारोपण के लिए पौधे फार्म पौधशाला से मिलेंगें। उपलब्ध पौधों को पौधारोपण के लिए एवं लगे हुए व बीजू पौधो के रख–रखाव (थाला बनाना, पानी डालना, कटाई–छटाई करना इत्यादि) के लिए इच्छुक ठेकेदार से सीलबन्द निविदायें निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म – जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) के नाम से *दिनांकः 11.12.2018 को दोपहर 1.00 बजे* तक आंमत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र का विकय 12:30 तक किया जाएगा। जो उसी दिन दोपहर 2.30 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए पौधा रोपण कार्य के लिए व 15,000/–रूपये (पन्दह हजार रूपये मात्र) पौधों के रख–रखाव के लिए 10.000/– रूपये (दस हजार रूपये मात्र) बैक डिमान्ड–ड्राफ्ट/NEFT/RTGS, जो कि नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251,खाता संख्याः 3396 3396 672) पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि निगम के खाते में जमा होने के बाद *NEFT/RTGS* के माध्यम से लोटा दी जाएगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम व शर्ते किसी भी कार्यदिवस में फार्म कार्यालय से ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है । निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 200.00 */NEFT/RTGS*, के माध्यम से जमा करवा व पहचान पत्र की फोटो प्रति जमा करवा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबंधक उत्पादन
कृते निदेशक

निविदा प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान् निदेशक
केन्द्रीय राज्य फार्म
जैतसर।

महोदय,

निविदा सूचना पत्रांकः के.रा.फा./जैत./13–21/उद्यान/2018-19/दिनांकः 15.11.2018 के संदर्भ में फार्म के खण्ड–एक, दो व तीन मे पौधा रोपण का कार्य एवं लगे हुए एवं बीजू पौधों के रख–रखाव (थाला बनाना, पानी डालना, कटाई–छंटाई करना इत्यादि) का कार्य करने का इच्छुक हूँ। जिसके लिए निर्धारित नियम–शर्तो को पढ़ लिया एंव समझ लिया है। इस संदर्भ में जो निर्धारित नियम–शर्ते है वह मुझे मान्य है। मै खण्ड वार अपनी प्रस्तावित दरे निम्नानुसार दे रहा हूँ–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कुल पौधा सं- खंड नं .एक ,दो , तीन व ई.पी.ओ.	दर रुपये प्रति पौधा लूंगा
1.	फार्म की पौधशाला से पौधे उखाड़ना, लादना व उतारना , स्वयं के साधन से पौधे लगाने वाली जगह पर ले जाना व सम्बन्धित खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी द्वारा बताये गये स्थान पर स्वयं के साधन, मजदूरों द्वारा लगाना इत्यादी।	30000 पौधा	
2	पौधो की उचित देख–भाल करना, थाला बनाना, आवश्यकतानुसार पानी लगाना, कटाई–छटाई करना व समय–समय पर उपलब्ध दवा का प्रयोग स्वयं के साधन द्वारा करना इत्यादि।	30000 पौधा	

हस्ताक्षर..
नाम..
स्थाई पता...
....
मे0 नं0 ....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर –335702
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

फार्म में पौधे रोपण की नियम व शर्ते–

1. निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम एक पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा–खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि निविदा दाता या ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हों।

2. निविदा दाता को फार्म के तीनों खण्डों में 30000/- पौधे लगाने के लिए धरोहर राशि,15,000/–रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", जैतसर के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251), पर देय हो जमा/सलग्न करानी होगी, अथावा *NEFT/RTGS* के माध्यम से जमा करनी होगी।

3. बिना धरोहर राशि के निविदादाता को निविदा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि उसके खाते में *NEFT/RTGS* के माध्यम से लौटा दी जाऐगी एवं सफल निविदा दाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक व पूर्ण होने पर लौटाई जाऐगी तथा फार्म इस धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।

4. सफल निविदा दाता को फार्म के नाले–खाले, बट व माइनर के साथ, फार्म बाउंड्री पर चक प्रभारी / खंड प्रभारी द्वारा निर्देशित स्थानों पर 1X1X1 फीट के गड्ढे खोदकर, गड्ढों को भरकर पौधे लगाना, थाला बनाना कम से कम एक बार में 8–10 लीटर पानी डालना व उनकी देख–रेख 30 जून 2019 के बाद गिनती करवाकर सपूर्द करने तक करानी होगी, इस अवधि के दौरान एक सप्ताह के अंतराल पर पानी देना व पौधों की देखभाल करने का कार्य करना होगा।

5. ठेकेदार को स्वयं सभी औजार जैसे– पौधे ढ़ोने के लिए वाहन, कस्सी, टैंकर इत्यादि लाने होंगे, फार्म विशिष्ट संतति उद्यान से पौधे उपलब्ध करवायेगा, जिसे ठेकेदार अपने स्तर पर लोड कर रोपण के स्थान तक ले जाना।

6. खण्ड में चक प्रभारी व खण्ड प्रभारी की देख–रेख में यह कार्य करना होगा। कार्य आदेश मिलने के बाद 31.मार्च 2019 तक कार्य पूरा करना होगा। बिल का भुगतान चक प्रभारी / खंड प्रभारी द्वारा पौधों की गिनती करके किया जावेगा, गिनती के समय ठेकेदार स्वयं वहां उपस्थित होगा। ठेकेदार के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ठेकेदार श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा। कार्य करते समय अगर कोई जान–माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. पौधारोपण किए जाने वाले पौधों की संख्या को घटाया व बढाया भी जा सकता है।

8. ठेकेदार व उसके श्रमिक कार्य करते समय फार्म की सम्पति कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगे, अगर ऐसा होता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जावेगी।

9. फार्म निदेशक बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त कर सकता है।

10. अगर कोई ठेकेदार कार्य को बीच में अधूरा छोड़कर जाता है तो इस कार्य को द्वितीय ठेकेदार से करवा लिया जावेगा। अगर इस पर फार्म को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से कर ली जावेगी। कार्य आदेश मिलने पर पौधे लगाने का कार्य 31.03.2019 तक पूर्ण करना होगा।

11. ठेकेदार को रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो ठेकेदार स्वयं खरीद कर लाएगा। यह स्वीकृति आदेश मिलने के 7 दिन के अंदर अनुबध करना होगा, तदोपरांत कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

12. दीमक का प्रकोप होने पर फार्म द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले रसायन को पौधों में देने का कार्य ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा, जिसका अलग से भुगतान नही किया जायेगा।

13. यदि उपरोक्त अनुबंध/ करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।

प्रबंधक उत्पादन
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर –335702
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

फार्म में लगे हुए पौधों के रख–रखाव करने की नियम व शर्तें–

1. निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम एक पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा–खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि निविदा दाता या ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हों।

2. निविदा दाता को फार्म के तीनों खण्डों में 30.000 नग पौधों के रख–रखाव (थाला बनाना, पानी डालना, कटाई–छंटाई करना इत्यादि) के कार्य के लिए धरोहर राशि का 10,000/– रूपये का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", जैतसर के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251), पर देय हो जमा/सलग्न करानी होगी, अथावा *NEFT/RTGS* के माध्यम से जमा करनी होगी।

3. बिना धरोहर राशि के निविदादाता को निविदा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि उसके खाते में *NEFT/RTGS* के माध्यम से लौटा दी जाऐगी एवं सफल निविदा दाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक व पूर्ण होने पर लौटाई जाऐगी तथा फार्म इस धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।

4. ठेकेदार के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ठेकेदार श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा। कार्य करते समय अगर कोई जान–माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. ठेकेदार व उसके श्रमिक कार्य करते समय फार्म की सम्पति कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगे, अगर ऐसा होता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जावेगी।

6. रखरखाव किए जाने वाले पौधों की संख्या को घटाया व बढाया भी जा सकता है।

7. फार्म निदेशक बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त कर सकता है।

8. ठेकेदार को लगे हुए पौधे एवं बीजु पौधो की देखमाल जैसे थाला बनाना, कटाई छटाई करना, समय समय पर पानी लगाने, आवश्यकतानुसार दवाई डालाने का कार्य 31.3.2019 तक पूर्ण करना होगा । उसके उपरांत गिनती करने पर एवं पौधे संतोषजनक पाए जाने पर जीवित पौधो का भुगतान किया जाएगा । तथा जब तक गिनती करा कर पौधे सपूर्द नहीं किए जाते तब तक देखभाल करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।

9. यदि उपरोक्त अनुबंध/ करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।

प्रबंधक उत्पादन
कृते निदेशक